


18.08.25

पत्रावली पेश हुई। पेंसैकार राज एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। पेंसैकार राज को बार-बार इत्तर देने के उपरान्त भी प्रतिवादी के वागमन को रिकॉर्ड पर नहीं लिखा गया। वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया वारी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध वादपत्र पेश किया गया है जो खारिज किया जावे। पत्रावली का अपलोडिंग करने पर पाया गया कि प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक 18.04.09 को ही चुकी है जबकि वारी द्वारा चट वादपत्र दिनांक 10.06.2020 को पेश किया गया है। वारी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया गया जो न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने

— लगातार

## फर्द अहकाम

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
	<p>के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरंत तकमील होकर दायित्व स्तर है। निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय में मुनाफा मप्प।</p> <p> (सुनीलकुमार-चौहान) RAS</p>	